नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत संस्थान, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, (भारत सरकार) बी-15,
संस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर -62, जी.बी. नगर, नोएडा-201309 (उत्तर प्रदेश)

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(An Autonomous Organization under Ministry of HRD)
Department of School Education and Literacy, Govt. of India,
B-15, Institution Area, G.B. Nagar, Sector-62,
Noida, (UP) - 201309

F. No. 7-25/87-NVS(GA)/751 **Dated:** 20.07.2020

## Order

Approval of Hon'ble Human Resource Minister and Chairman, NVS is hereby conveyed for use of the undisputed portion of the land measuring 2.88 Acre, situated at Bihta, Patna, out of total 17 Acres, allotted/transferred in favour of Navodaya Vidyalaya Samiti for construction of JNV Patna as the extended premises of JNV Bikram, Distt. Patna and the premises of NVS Regional Office, Patna. Copy of the Note Sheet is hereby attached for reference.

NVS RO is directed to take immediate possession of the aforesaid land and to initiate the process for construction of the extended premises of JNV Patna and office of NVS Regional Office, Patna. In addition, necessary action for vacating the illegal encroachment on the remaining portion of the total 17 acres of land, allotted/transferred for JNV Patna may be taken.

This issues with the approval of the competent authority.

Raghuvendra
20/07/2020

**(Raghuvendra Kumar)**
Assistant Commissioner (Admn.)

Encl : **As stated**

1. **The Deputy Commissioner, NVS RO Patna**
2. **Principal JNV Patna**

**Copy to** :

1. **General Manager (Construction), NVS Hqrs, Noida** - for information and necessary action.
2. **AC(IT), NVS Hqrs, Noida** - for uploading it on NVS website for information of all concerned.
3. PA to Commissioner, NVS - for information
4. Guard File

फा. स. 7-25/87-नविस (सा.प्र.)

# नवोदय विद्यालय समिति

## नोएडा

**विषय: बिहटा, पटना में नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में हस्तांतरित भूमि का उपयोग नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पटना परिसर एवं अन्य शैक्षिक कार्यों हेतु निर्माण करने के लिए अनुमोदन संबंधी।**

नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु संबंधित राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ भूमि (प्रत्येक मामले के आधार पर छूट सहित) निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ-साथ, विद्यालय को 3-4 वर्ष तक चलाने अथवा जब तक विद्यालय के अपने स्थायी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक 240 विद्यार्थियों और 25 कार्मिकों हेतु पर्याप्त अस्थायी आवास उपलब्ध कराना होता है।

इसी क्रम में संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध काराए गए अस्थायी आवास से सन् 1986-87 में पटना जिले में एक नवोदय विद्यालय क्रियाशील किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा बिक्रम, पटना में हस्तांतरित 15 एकड़ भूमि पर स्थायी विद्यालय का निर्माण होने के पश्चात् वर्ष 2011 से यह विद्यालय बिक्रम में स्थित स्थायी स्थल से क्रियाशील है।

इसी बीच जनवरी, 2005 में बिहार के महामहीम राज्यपाल द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में लगभग 17 एकड़ भूमि बिहटा, पटना में स्थानांतरित की थी। यह भूमि स्व. श्री गदाधराचार्य उर्फ माचा स्वामी द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, पटना हेतु नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में दान स्वरूप दी गई थी। यह भूमि नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में हस्तांतरित करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के दावेदार से आपत्ति आमंत्रित करने के साथ-साथ अन्य आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की गई थी। संदर्भ हेतु भूमि के हस्तांरतरण संबंधी दस्तावेज फाइल में अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

यह भूमि बहुत उपयुक्त स्थल पर होने के कारण इसके बड़े भाग पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी अतिक्रमण कर लिया है और कुछ व्यक्तियों ने भूमि के हस्तांरण को न्यायालय में चुनौती दी है। यह मामला वर्षो से न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय में समिति का पक्ष काफी मजबूत है, क्योंकि सारी प्रक्रियां पूरी करने के पश्चात् ही विधिक रूप से यह भूमि नवोदय विद्यालय समिति के पक्ष में हस्तांतरित की गई है।

नवोदय विद्यालय समिति को हस्तांतरित की गई भूमि के कुल क्षेत्रफल 17 एकड़ में से भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.88 एकड़ पूरी तरह से गैर विवादित है और नवोदय विद्यालय समिति के कब्जे में है। इसकी कटीले तारों से तारबंधी कर दी गई है और चारदीवारी बनाई जा रही है तथा दो गनमैन एवं एक चौकीदार की व्यवस्था इसको अतिक्रमण से बचाए रखने हेतु की गई है, परंतु जब तक इस भूमि पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक इसे स्थायी तौर पर गैर-कानूनी अतिक्रमण से बचा पाना संभव नहीं होगा।

उक्त भूमि का उपयोग बिक्रम, पटना से क्रियाशील वर्तमान जवाहर नवोदय विद्यालय, पटना के विस्तारित परिसर तथा नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के कार्यालय निर्माण हेतु किया जा सकता है।

क्रमशः..2

फा. स. 7-25/87-नविस (सा.प्र.)

पूर्व पृष्ठ से..

आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पटना का अपना कोई स्थायी भवन नहीं है। यह फिलहाल केंद्रीय कार्यालय परिसर में स्थित कुछ कक्षों में किराए के आधार पर चल रहा है। इसके लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में **रु. 1,54,080/- प्रति माह** सरकार को चुकाना होता है, तथापि अपने परिसर में मिलने वाली संपूर्ण सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

यदि बिहटा में उपलब्ध 2.88 एकड़ भूमि पर जवाहर नवोदय विद्यालय, पटना का विस्तारित परिसर एवं नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पटना का कार्यालय बन जाता है तो इस भूमि को गैर-कानूनी अतिक्रमण से बचाया जा सकता है।

यह भूमि तीन भू-भागों में बंटी हुई है। एक से दूसरे भाग में 10 से 20 मीटर का अंतर है। सबसे बड़े भू-भाग का क्षेत्रफल लगभग एक एकड़ है, जिसके ऊपर कार्यालय परिसर का निर्माण किया जा सकता है तथा दूसरे भू-भागों पर स्टाफ आवास, अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है और जवाहर नवोदय विद्यालय, पटना के विद्यार्थियों ऐतु विस्तारित परिसर तथा एक उत्कृष्टता केंद्र (Excellence Centre) का निर्माण किया जा सकता है। भविष्य अतिरिक्त भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात् अन्य शैक्षिक कार्यों हेतु अतिरिक्त निर्माण की योजना बनाई जा सकती है।

उक्त भूमि पटना मुख्य शहर से सटी हुई है तथा प्रस्तावित हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थल सड़क तथा रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। बिहटा रेलवे स्टेशन 3-4 कि.मी. पर स्थित है। आई.आई.टी. पटना यहां से 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। एन.डी.आर.एफ. का विशाल परिसर भूमि से लगभग एक कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इस भूमि की बहुत अधिक मांग है और भू-माफिया की नज़र इस पर है। ऐसी स्थिति में बिना किसी निर्माण के इस भूमि को लंबे समय तक बचाए रखना दुष्कर होगा।

अतः बिहटा, पटना में जवाहर नवोदय विद्यालय, पटना के विस्तारित परिसर तथा नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों के निर्माण कार्यों हेतु उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(विश्वजीत कुमार सिंह)
आयुक्त, नविस
दिनांक: 15.05.2020

**माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, नविस**

फा.सं. 7-25/87-NVS(मा.सं.वि.मं.)
दिनांक/Dated 16/01/2020

15 MAY 2020
22/5/20